दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–
1. श्री अजीत सिंह राठौड़ वकील वादी।

–:: प्राथमिक निर्णय ::–

दिनाँक **13.06.2024**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह ह कि स्वर्गीय जमाल व स्वर्गीय समसू के वारिसान वादीगण के वर्तमान राजस्व रेकर्ड वाके शरहद गणेशपुरा खसरा नम्बर 20 रकबा 18.400 हैक्टे0 के (113.13बीघा) तथा खसरा सं0 101 रकबा 1.4300 हैक्टे0 (8.17 बीघा), खसरा सं0 117 रकबा 4.3200 हैक्टे0 (26.13 बीघा), खसरा सं0 120 रकबा 0.0600 हैक्टे0 गैर मुमकीन (00.07 बीघा), खसरा सं0 139 रकबा 2.0500 हैक्टे0 (12.13 बीघा), खसरा सं0 75 रकबा 7.5300 हैक्टे0 (46.10 बीघा), खसरा सं0 95 रकबा 5.3500 हैक्टे0 (33.01 बीघा), खसरा सं0 96 रकबा 0.0200 हैक्टे0 (00.02 बीघा) कुल रकबा 20.7600 हैक्टे0 है जिसमें स्वर्गीय समसू के वारिसान जमाल के वारिसान का 1/2 हिस्सा व स्वर्गीय समसू के वारिसान का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। खतौनी नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपियां वाद के साथ पेश है।

यह है कि स्वर्गीय समसू ने अपने जीवनकाल में यानि आज से करीब 56–65 वर्ष व मुमताज करीब 6, 7 वर्ष के थे, तब उनके वालिद समसू ने वाके शरहद गणेशपुरा खसरा सं0 110 रकबा 1.7700 हैक्टे0 (10.19) तथा वाके शरहद दयालपुरा खसरा सं0 891 रकबा 5.9200 हैक्टे0 (36.11 बीघा) भूमि खरी की, उस वक्त स्वर्गीय समसू के समस्त वारिसान एक परिवार के रूप में शामिल ही रहते थे।

यह है कि स्वर्गीय जमाल का इन्तकाल सन् 1945 में ही हो गया, इसलिए स्वर्गीय समसू ने अपने भाई के पुत्र स्वर्गीय मंगतू, स्व0 जीवण व वादी ईशाक का लालन पालन शादी विवाह आदि किये थे। स्वर्गीय समसू ने अपने पुत्र व अपने भाई स्वर्गीय जमाल के तीनों पुत्रों के मध्य बंटवारा सन् 1970 के आस–पास कर दिये, जिनके अनुसार आज भी सभी पक्षकार अपने–अपने हिस्सों पर काबिज है। मौके पर सीवें–नीवें भी मौजुद है, जो निम्न प्रकार है :–

ए

1. स्व0 मंगतू जी के वारिसान का हिस्सा :–
   खसरा सं0 95 रकबा 33.01 बीघा में से उत्तरी 20 बीघा
   खसरा सं0 96 रकबा 02 बिस्वा सम्पूर्ण
   खसरा सं0 20 रकबा 113.13 बीघा में से 20.04 बीघा उत्तरी–पूर्वी
   कुल रकबा 40.06 बीघा
2. स्व0 जीवण जी के वारिसान का हिस्सा :–
   खसरा सं0 95 रकबा 33.01 में से दक्षिणी 13.01 बीघा
   खसरा सं0 101 रकबा 8.17 बीघा सम्पूर्ण
   खसरा सं0 20 रकबा 113.13 बीघा में 18.08 बीघा
   कुल रकबा 40.06 बीघा
3. ईशाक जी के बंट की भूमि :–
   खसरा सं0 20 रकबा 113.13 बीघा में से 40.07 बीघा ... हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 15:05:32 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

बी

1. स्व0 अ0 रजाक पुत्र समसुदीन का हिस्सा
खसरा सं0 117 रकबा 26.13 बीघा में से मेहबुब से चिपता दक्षिण में 1.15 बीघा
खसरा सं0 139 रकबा 12.13 बीघा सम्पूर्ण हिस्सा
खसरा सं0 75 रकबा 46.10 बीघा में से पश्चिमी 11.00 बीघा
कुल रकबा 25.08 बीघा
2. स्व0 फतेह मो0 पुत्र समसुदीन के वारिसान (मो0 हारून, मो0 रमजान) का हिस्सा
खसरा सं0 117 रकबा 26.13 बीघा में से इमामुदीन से चिपता ही पश्चिमी में 1.15 बीघा (सामलाती)
खसरा सं0 110 रकबा 10.19 बीघा सम्पूर्ण हिस्सा (खरीद किया हुआ) (मोहम्मद हारून के हक व हिस्से)
खसरा सं0 120 रकबा 0.0600 हैक्टे0 भूमि सम्पूर्ण मोहम्मद हारून के बंट व हिस्से में रहेगी।
खसरा सं0 75 रकबा 46.10 बीघा में से दक्षिणी–पूर्वी 12.14 बीघा (मोहम्मद रमजान के हक व हिस्से)
3. स्व0 मेहबूब का हिस्सा :–
खसरा सं0 117 रकबा 26.13 बीघा में से मुमताज व अ0 रजाक के मध्य 1.5 बीघा
खसरा सं0 75 रकबा 46.10 बीघा में से उत्तरी–पूर्वी 11.00 बीघा
खसरा सं0 891 रकबा 36.11 बीघा में से दक्षिणी–पश्चिमी 12.12 बीघा
कुल रकबा 25.08 बीघा
4. इमामुदीन का हिस्सा
खसरा सं0 117 रकबा 26.13 बीघा में से फतेह मो0 व बाबूदीन के मध्य 1.15बीघा
खसरा सं0 891 रकबा 36.11 बीघा में से पूर्वी हिस्सा 11.19 बीघा (खरीद सुदा)
खसरा सं0 20 रकबा 113.13 बीघा में से दक्षिणी–पश्चिमी 11.14 बीघा
कुल रकबा 25.08 बीघा
5. मुमताज पुत्र समसुदीन का हिस्सा
खसरा सं0 117 रकबा 26.13 बीघा में से उत्तरी–पूर्वी हिस्सा 1.15 बीघा
खसरा सं0 75 रकबा 46.10 बीघा में से अब्दुल रजाक, मेहबुब व फतेह मो0 के मध्य का 11.16 बीघा
खसरा सं0 20 रकबा 113.13 बीघा में से गणेशपुरा से बेमोट रास्ते से चिपता ही उत्तर 11.16 बीघा
कुल रकबा 25.08 बीघा
6. बाबुदीन पुत्र समसुदीन का हिस्सा
खसरा सं0 117 रकबा 26.13 बीघा में से दक्षिणी–पूर्वी 1.15 बीघा
खसरा सं0 खसरा सं0 891 रकबा 36.11 बीघा में से उत्तरी–पश्चिमी हिस्सा 12.00 बीघा (खरीद सुदा)
खसरा सं0 20 रबा 113.13 बीघा में से इमामुदीन व मुमताज के मध्य का 11.13 बीघा।

यह है कि वादी पक्ष की पहिने [illegible] निकाह काफी अरसे पहले हो चुका है। वे अपना हिस्सा लेकर अपने ससुराल में आबाद है [illegible] उनका नाम राजस्व रेकर्ड से पृथक किया जावें।

यह है कि वाकै शरहद गणेशपुरा [illegible] सं0 20 में से [illegible] ईशाक के हिस्से में से जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी वि[illegible] हिस्सा हक में रहेगा। खसरा सं0 117 रकबा 4.3200 [illegible] वाकै सरहद गणेशपुरा का बाकी हिस्सा यथावत सभी के नाम रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 15:05:32 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

प्रार्थना वादी की इस प्रकार है :–

1. यह है कि वाकै शरहद गणेशपुरा खसरा सं0 20 रकबा 18.400 हैक्टे0 तथा खसरा सं0 101 रकबा 1.4300 हैक्टे0, खसरा सं0 117 रकबा 4.3200 हैक्टे0, खसरा सं0 120 रकबा 0.0600 हैक्टे0 गैर मुमकिन , खसरा सं0 139 रकबा 2.0500 हैक्टे0, खसरा सं0 75 रकबा 7.5300 हैक्टे0, खसरा सं0 95 रकबा 5.3500 हैक्टे0, खसरा सं0 96 रकबा 0.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 110 रकबा 1.7700 हैक्टे0 तथा वाकै शरहद दयालपुरा खेत खसरा सं0 891 रकबा 5.9200 हैक्टे0 का विधिवत बंटवारा उपरोक्त वर्णित पैरा सं0 03 के अनुसार वादी पक्ष के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी घोषित की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 7, 8, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 27, 35, 39, 41, 44, 45, 46 ने दिनांक 22.12.2023 को राजीनामा पेश किया। जो सामिल मिसल किया है। वादीगण की पहचान वकील श्री नेमीचन्द शर्मा व प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री वी.पी. सिंह ने की। प्रतिवादी सं0 1 ता 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 43 की तरफ से इकबाली जवाब पेश कर वाद को स्वीकार करने पर सहमति दी। शेष प्रतिवादी सं0 47 तामिलगी के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण श्री नेमीचन्द शर्मा की सुनी गई। पक्षकारान वाद में प्राथमिक डिक्री किये जाने में सहमति व्यक्त करते है तथा अन्य किसी पक्षकारान द्वारा वाद का खण्डन नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण खातेदारी घोषणा एवं विधिवत बंटवारा करवाना चाहते है। उक्तानुसार वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान् के बीच प्राथमिक डिक्री की जाकर, तहसीलदार डीडवाना से विभाजन प्रस्ताव लिया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :–

–:आदेश :–

वाकै वाकै शरहद गणेशपुरा खसरा सं0 20 रकबा 18.400 हैक्टे0 तथा खसरा सं0 101 रकबा 1.4300 हैक्टे0, खसरा सं0 117 रकबा 4.3200 हैक्टे0, खसरा सं0 120 रकबा 0.0600 हैक्टे0 गैर मुमकिन, खसरा सं0 139 रकबा 2.0500 हैक्टे0, खसरा सं0 75 रकबा 7.5300 हैक्टे0, खसरा सं0 95 रकबा 5.3500 हैक्टे0, खसरा सं0 96 रकबा 0.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 110 रकबा 1.7700 हैक्टे0 तथा वाकै शरहद दयालपुरा खेत खसरा सं0 891 रकबा 5.9200 हैक्टे0 की भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 से 46 के मध्य राजीनामा अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार डीडवाना राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 पालना करते हुए, मौके पर जाकर पक्षकारान को विधिवत सूचित करते हुए वादीगण व प्रतिवादी 01 ता 46 के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में अविलम्ब न्यायालय में पेश करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 15:05:32 IST
Reason: SelfAttested

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

प्राथमिक निर्णय आज दिनांक 06.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना